- **बीआरकेजीबी – कृषि हेतु ट्रैक्टर एवं सहायक उपकरण ऋण योजना**

1	**उद्देश्य**	कृषि यन्त्रीकरण को बढावा देने हेतु वित्तपोषण
2	**पात्रता**	कृषक के पास न्यूनतम 6 एकड बारहमासी सिंचित अथवा 12 एकड असिंचित कृषि भूमि होनी चाहिए, तथापि 4 एकड बारहमासी सिंचित कृषि भूमि के प्रस्ताव जो तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार किया जा सकता है। कृषि भूमि के सिंचित होने के सम्बन्ध में जमा बन्दी में स्पष्ट उल्लेख किया गया हो अन्यथा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
3	**ऋण सीमा**	ट्रैक्टर व सहायक उपकरण की इकाई लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत ।
4	**अंशदान**	इकाई लागत का 10 प्रतिशत अंशदान ऋणी का होगा।
5	**ब्याज दर**	बैंक द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय है। ब्याज अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रभारित किया जावेगा।
6	**पुनर्भुगतान**	ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 18 अर्द्धवार्षिक किश्तों में होगा।
7	**प्रतिभूतियां**	कृषि भूमि का रहन, (Mortgage) दो व्यक्तिगत जमानते, ट्रैक्टर व उपकरण का दृष्टिबन्धन, ।
8	**सेवा प्रभार**	समय– समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ।
पुराना ट्रैक्टर क्रय किये जाने की स्थिति में निम्न बिन्दु भी लागू होंगे		
1	**पुनर्भुगतान**	अधिकतम 5 वर्ष की अवधि
2	**ऋण सीमाः**	अधिकतम ऋण सीमा ₹2.00 लाख
3.	**अंशदानः–**	करार मूल्य/हासित मूल्य/वेल्यूएशन मूल्य का न्यूनतम 25 प्रतिशत